तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू श्रीराम बनाम तहसीलदार झुन्झुनू मुकदमा नम्बरः– 97/2019 (प्रार्थना–पत्र खाता दुरूस्ती रा.भू राजस्व अधिनियम 1956की धारा 136)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
29.11.2019	आज यह प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जमाबन्दी में श्रीराम पुत्र श्री दयानंद के नाम से शामलाती भूमि दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति जाट है। परन्तु भूलवंश से प्रार्थी की जाति माली दर्ज हो गई है जो दुरूस्त कर माली के स्थान पर जाति जाट दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र की जांच में तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भू0अ0/2019/4165 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में विक्रय नामान्तरकरण संख्या 1378 दिनांक 20.03.1985 के द्वारा श्रीराम सुलतान पि0 दयानन्द जाति जाट का इन्द्राज किया गया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2045–2048 में भी उक्त व्यक्ति की जाति जाट ही अमल में लायी गयी। लेकिन सहवन में इसके बाद ही सभी जमाबन्दी (वर्तमान तक) में उक्त व्यक्ति की जाति माली दर्ज हुई है। अतः उक्त व्यक्ति की जाति माली से जाट किया जाना उचित बताते हुए अपनी जांच रिपोर्ट पेश की गई है। हमनें प्रार्थना में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के संलग्न राजस्व रिकार्ड व हस्व रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः –:आदेशः– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व हस्व रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कायस्थपुरा पटवार मण्डल कासिमपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू के खाता संख्या 169 में सुलतान श्रीराम पि0 दयानन्द मु0 सुआ देवी बेवा महालाराम लालचन्द पि0 महालाराम जाति माली के स्थान पर जाति जाट दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार झुन्झुनू को फर्द अहकाम पालनार्थ दस्ती जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एचं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 29/11/19 उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2019.12.05 16:51:50 IST
Reason: SelfAttested